न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 18 / 2015

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना बापचा जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारॉ (सायल)

बनाम

भंवर सिंह पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी गोडियाचारण थाना बापचा जिला बाराँ (गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा—3

उपस्थिति :— 1— अभियोजन अधिकारी (सायल)
2— श्री पिंकेश जगरवाल अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 09.11.2021

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल भंवर सिंह पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी गोडियाचारण थाना बापचा जिला बाराँ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा—3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना बापचा ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना बापचा जिला बारॉ क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति अवैध शराब एवं अवैध हथियार की अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरूद्व पुलिस थाना बापचा में वर्ष 2006 से 2015 तक की अवधि में कुल 05 आपराधिक प्रकरण एक्साईज एक्ट(04) एवं आर्म्स एक्ट(01) के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से धारा 16 / 54 एक्साईज एक्ट(02) एवं धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट(01) कुल 03 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। शेष 02 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से [illegible] किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:46:37 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य [illegible] जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को कुल 03 प्रकरणों [illegible]यालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। [illegible] गुण्डा की परिभाषा [illegible]ता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा—3 के तहत कार्यवाही की जावें। इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा—3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 28.05.2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना बापचा में वर्ष 2006 से 2015 तक की अवधि में कुल 05 आपराधिक प्रकरण एक्साईज एक्ट(04) एवं आर्म्स एक्ट(01) के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से धारा 16/54 एक्साईज एक्ट(02) एवं धारा 04/25 आर्म्स एक्ट(01) कुल 03 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। शेष 02 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

गैरसायल के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि गैरसायल के विरूद्व केवल एक प्रकरण धारा 379 आई.पी.सी. ए.सी.जे.एम. छबड़ा में विचाराधीन है। इसके अलावा गैरसायल के विरूद्व अन्य किसी अदालत में कोई प्रकरण दर्ज व विचाराधीन नहीं है। गैरसायल को उक्त नोटिस गलत तथ्यों के आधार पर प्रेषित किया गया है। गैरसायल को भिजवाये गये नोटिस में उसके विरूद्व पूर्व आपराधिक रिकार्ड से सम्बन्धित केस नं0 व धारा का भी उल्लेख नहीं है। पुलिस थाना बापचा द्वारा गैरसायल के विरूद्व द्वेषतावश यह रिपोर्ट गलत तथ्यों के आधार पर भिजवायी गयी है। गैरसायल के खिलाफ वर्तमान से 3–5 वर्षों में कोई एक प्रकरण के अलावा अन्य कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। जबकि एक वर्ष में तीन या उससे अधिक केस दर्ज होने पर हीं उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाना सम्भव है। गैरसायल गरीब परिवार का मजदूर व्यक्ति है जो मेहनत करके अपने परिवार का पालन–पोषण करता है। अतः निवेदन है कि गैरसायल के विरूद्व की गयी कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावें।

अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना बापचा में वर्ष 2006 से 2015 तक की अवधि में कुल 05 आपराधिक प्रकरण एक्साईज एक्ट(04) एवं आर्म्स एक्ट(01) के तहत दर्ज हुये है। उक्त प्रकरणों में से धारा 16/54 एक्साईज एक्ट(02) एवं धारा 04/25 आर्म्स एक्ट(01) कुल 03 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि भंवर सिंह पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी गोडियाचारण थाना बापचा जिला बारां द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है, क्योंकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को 03 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:46:37 IST
Reason: Self Attested

अतः गैरसायल भंवर सिंह पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी गोडियाचारण थाना बापचा जिला बाराँ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र बापचा से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल भंवर सिंह पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी गोडियाचारण थाना बापचा जिला बाराँ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना बापचा जिला बाराँ क्षेत्र से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, अकलेरा जिला झालावाड़ को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 25.11.2021 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना अकलेरा जिला झालावाड़ को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना बापचा जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना बापचा जिला बारॉ क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना अकलेरा जिला झालावाड़ के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक **09.11.2021** को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:46:37 IST
Reason: SelfAttested